

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 02 फरवरी, 2018 ई0 माघ 13, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8

संख्या 140 / 2018 / 18(120) / XXVII(8) / 2017 / CTR-4 देहरादून, 02 फरवरी, 2018

<u>अधिसूचना</u>

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नित्यित श्रेणियों को अर्थात :-

- (क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णत: या अंशत:, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और
- (ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिस्चित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिनके मामले में उपर्युक्त खंड (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त खंड (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर राज्य कर के भुगतान का दाबित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकार का अंतरण उस व्यक्ति को

करता है, जो कि किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आबंटन पत्र) में हस्ताक्षर के द्वारा विकास के अधिकार की आपूर्ति करता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत समझी जायेगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.140/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-4, dated Dehradun, February 02, 2018 for general information:

No. 140/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-4 Dated Dehradun, February 02, 2018

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to notify the following classes of registered persons, namely:-

- (a) registered persons who supply development rights to a developer, builder, construction company or any other registered person against consideration, wholly or partly, in the form of construction service of complex, building or civil structure; and
- (b) registered persons who supply construction service of complex, building or civil structure to supplier of development rights against consideration, wholly or partly, in the form of transfer of development rights,

as the registered persons in whose case the liability to pay State tax on supply of the said services, on the consideration received in the form of construction service referred to in clause(a) above and in the form of development rights referred to in clause(b) above, shall arise at the time when the said developer, builder, construction company or any other registered person, as the case may be, transfers possession or the right in the constructed complex, building or civil structure, to the person supplying the development rights by entering into a transfer deed or similar instrument (for example allotment letter).

2. This notification shall deemed to come into force from the 25th day of January, 2018.

By Order,

RADHA RATURI, Principal Secretary.